

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं / संगठनों / सोसायटी को आवंटन हेतु  
प्रार्थना पत्र

प्रपत्र-अ

1. संस्था / संगठन का नाम : इन्स्ट्रुमेन्टेशन महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार लिमिटेड,  
रजिस्ट्रेशन नम्बर 1958 / आर / 1975
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) बलभद्र सिंह, मुख्य कार्यकारी
3. डाक पता, टेलीफोन नं., मोबाइल नम्बर व मेल आईडी : रोड नम्बर 1, डकनिया रोड, कोटा  
0744-2423939 / 9772944333 / 9887294502 suvidha\_agency@yahoo.co.in
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य - सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वित करना व सदस्यों एवं आम नागरिकों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति करना एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए कार्य करना व ऐसे समस्त कार्य करना जो सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक व नैतिक दशा को उन्नत करे।
5. चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो) - राजीव गांधी स्पेशल व्यवसायिक योजना में पीओसी भूखण्ड
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) - 439 वर्गमीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वालो क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण) - महिला भण्डार के कार्यालय भवन, उपहार सुपर मार्केट भवन, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए मीटिंग एवं उत्पाद स्थल भवन का निर्माण।  
अनुमानित निवेश - 2.25 करोड़ रुपये  
समाज को होने वाले लाभों का संक्षिप्त विवरण -
  - शहर में सहकारिता के सिद्धान्तों की क्रियान्विति की जावेगी।
  - उपभोक्ता को गुणवतापूर्ण वस्तुएं बेहद कम मार्जिन पर उपलब्ध करवाई जावेगी।
  - उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता प्रसार एवं क्रियान्वयन होगा।
  - विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तीकरण एवं सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए संस्था सरकार की विभिन्न योजनाओं से समन्वय करते हुए अपना अहम योगदान कर सकेगी।
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण
9. सलंगन किये जाने वाले दस्तावेज
  - (i) रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

1738

OIC-Gar  
20/12


- (ii) बाईलॉज/रेग्युलेशनस
- (iii) गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बेलेंस शीट
- (iv) संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।
- (v) प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)
- (vi) रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डीडी/पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/अधिशाषी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 24-12-2020

स्थान : कोटा

नाम व पद : मुख्य कार्यकारी  
 इन्फ्रामेन्टेशन महिला सहकारी  
 उपभोक्ता भंडार लि., कोटा

  
 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता